

चिंता से मुक्ति

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
IIIrd Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
दूरभाष-0141-2385887 फ़ैक्स-0141-2385778
E-Mail.: smc-rai@esic.nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)



संख्या: 15-यू-11 / टाइ-अप(सु.स्पे.) / एसएमसी / 2010 / 666

दिनांक 28.06.2011

परिपत्र

विषय: **Super Speciality Treatment** के तहत टाइ-अप (Tie up) व्यवस्था की अवधि बढ़ाने बाबत।

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries)/ESIC Staff/Pensioners एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदया ने निम्न विवरणानुसार प्राईवेट अस्पताल से अति विशिष्ट उपचार (Super Speciality Treatment) हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था संबंधित अस्पताल द्वारा दी गई सहमति दिनांक 28.6.2011 के अनुसार एक वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है:-

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	JAIPUR	Monilek Hospital & Research centre, Sector-4, Jawahar Nagar, Jaipur- 302 004	01.07.2011 to 30.06.2012	Super specialized- Nephrology, Urology, Dialysis, Renal Transplant

उक्त अवधि की स्वीकृति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम व उक्त टाइ अप अस्पताल के बीच हुए एग्रीमेन्ट दिनांक 01.07.2009 में वर्णित शर्तों व इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आदेशों के अनुसरण में की गई है।


निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U-16/30/2/2010 Pro-cell दिनांक: 18/22.02.2011 की फोटो प्रति व Feed Back Performa संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया आपके अस्पताल में भर्ती मरीज से प्रत्येक बिल पर हस्ताक्षर करवा कर व फीड बैक परफोर्मा भरवाकर बिल संबंधितों को भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त टाइ अप अस्पताल को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे मरीज से किसी भी प्रकार की राशि नहीं लें। यदि इस संबंध में मरीज/बीमित से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो टाइ अप व्यवस्था बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है एवं एग्रीमेन्ट में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न: यथोपरि

(वी. के. गोयल)
उप निदेशक (प्रशासन)

संबंधित अस्पताल।



चिंता से मुक्ति

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

IIIrd Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

दूरभाष-0141-2385887 फ़ैक्स-0141-2385778

E-Mail.: smc-raj@esic.nic.in

Website- www.esicrajasthan.com



संख्या: 15-यू-11 / टाइ-अप(सु.स्पे.) / एसएमसी / 2011 / 662

दिनांक 28.06.2011

परिपत्र

विषय: **Super Speciality Treatment** के तहत टाइ-अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।

निगम मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: V-24/11/ 10/04- Med-1 dated 23-07-2008 के अनुसरण राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदया ने राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries) तथा पत्र सं. D-12/1/ 4/2001 E. IV dated 13.09.2010 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के **ESIC Employees and their dependants** व पत्र सं. D-12/16/1/03 E VI दिनांक 1.11.2010 के अनुसार **Pensioners and their dependants** के लिए, संबंधित अस्पताल से किये गये एग्रिमेन्ट दिनांक 28.6.2011 के अनुसार निम्न विवरणानुसार अति विशिष्ट उपचार (Super Speciality Treatment) हेतु राशि रहित (Cash less) टाइ अप (Tie up) व्यवस्था की गई है:-

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	2	3	4	5
1	BHILWARA	Porwal Hospital, Love Garden Road, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.)	01-07-2011 to 30-06-2012	Laparoscopy Surgery.

मरीज को रेफर करने व बिलों के संबंध में प्रक्रिया संक्षेप में निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही है:-


1. मरीज को चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय-जयपुर, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय- भिवाडी, चिकित्सा अधीक्षक-कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोधपुर/कोटा/भीलवाडा एवं पाली एवं DMHS के पत्र संख्या: प 211/जी-3/स.अ./ईएसआई/10/647-716 दिनांक 2.3.2010 (फोटो प्रति संलग्न), प 211/जी-3/स.अ./ईएसआई/10/1572-76 दिनांक 15.4.2010 (फोटो प्रति संलग्न) व प-211/जी-3/स.अ./ईएसआई/11/1040-42 दिनांक 27.4.2011 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा अधिकृत (अब तक कुल 24) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राज. क्षेत्र द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।

2. विशेषज्ञ द्वारा बीमारी एवं संबंधित सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट/डाइग्नोस्टिक का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर मरीजों को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को रेफर (Refer) किया जाएगा।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/योजना व अधिकृत कराबी औषधालयों के बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) द्वारा अति विशिष्ट उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को तभी रेफर किया जा सकेगा, जब वे अति विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता की शर्त पूरा करते हों।
- 4- उक्त वर्णित टाइ अप अस्पताल (Porwal Hospital, Bhilwara) द्वारा मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था राशि रहित (Cash less) होगी।
5. उक्त वर्णित अस्पताल से टाइ अप उपर्युक्त वर्णित सूची के कॉलम सं. 5 में वर्णित अति विशिष्ट उपचारों (Super Speciality Treatments) के लिए उनसे हुए एग्रिमेन्ट एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है।
6. मरीज के इलाज का बिल भुगतान प्रक्रिया - बिलों का भुगतान CGHS दरों या संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा जारी दरों, दोनों में से जो भी कम हो पर देय होगी। यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय- भिवाडी, द्वारा मरीज को टाइ अप अस्पताल/डाइग्नोस्टिक सेन्टर में रेफर किया गया हो तो बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित इन्हीं कराबी निगम चिकित्सालयों को ही भुगतान हेतु दो प्रतियों में आवश्यक मूल कागजातों सहित भेजे। शेष सभी चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआई अस्पताल, कोटा, भीलवाडा, पाली, जोधपुर तथा DMHS द्वारा अधिकृत 24 कराबी औषधालयों (सूची संलग्न) से टाइ अप अस्पतालों में भेजे गये मरीज का बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित दो प्रतियों में सीधे ही राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर के उपर्युक्त वर्णित पते पर भेजा जाना है।
7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्टाफ व उनके आश्रितों तथा कराबी निगम पेंशनर्स एवं उनके आश्रित को कराबी निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय- भिवाडी अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर के द्वारा रेफर किया जाएगा तथा आपातकालीन स्थिति में ESIC Staff / Pensioners द्वारा टाइ अप अस्पताल में मेडिकल कार्ड/आईडेन्टी प्रुफ (पहचान का साक्ष्य) प्रस्तुत किये जाने पर इलाज लिया जा सकेगा, जिसकी सूचना संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी/राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय को दूरभाष/फैक्स द्वारा तुरन्त दी जाएगी।
8. निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U-16/30/2/2010 Pro-cell दिनांक: 18/22.02.2011 की फोटो प्रति व Feed Back Performa संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया आपके अस्पताल में भर्ती मरीज से प्रत्येक बिल पर हस्ताक्षर करवा कर व फीड बैक परफोर्मा भरवाकर बिल संबंधितों को भेजना सुनिश्चित करें।

9. दूसरे राज्य के टाई अप अस्पताल में रोगी को भेजने के संबंध में—

निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U/16/12/5/2005/orissa/M-III दिनांक 15.1.2010 (प्रति निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है) में उल्लिखित निर्देशानुसार कराबी निगम/योजना के चिकित्सालयों/ अधिकृत कराबी औषधालयों द्वारा रोगियों को पात्रता पूर्ण होने पर अन्तर्देशीय टाई अप अस्पतालों में अति विशिष्ट उपचार हेतु रेफर किया जाएगा। परन्तु रेफर आदेश की एक प्रति सभी कागजातों सहित उसी दिन भेजे गये राज्य के राज्य चिकित्सा आयुक्त को व एक प्रति राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय-जयपुर को फैंक्स नं. 0141-2385778 या 0141-2385886 पर प्रेषित करनी होगी, ताकि बीमित व उसके परिजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

संलग्न: यथोपरि


(वी. के. गोयल)
उप निदेशक (प्रशासन)

संबंधित टाई अप अस्पताल।

- प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. चिकित्सा आयुक्त (मेड. II), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली।
 2. प्रमुख शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन) शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
 3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाई अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
 4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाई अप संबंधी सूचना सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी),/अधिकृत बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें। साथ ही बीमितों/अन्य की जानकारी हेतु सूचना की एक प्रति सभी संबंधितों को नोटिस बोर्ड पर लगाने बाबत आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें।
 5. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय, अजमेर रोड, जयपुर
 6. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, प्लाट नं. 1202, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-3, सेक्टर-29, भिवाडी- 301019
 7. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा/भीलवाडा/जोधपुर/पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 8. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
 9. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), डिवीजनल कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर।
 10. श्री (सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज. क्षेत्र)
 11. वित्त एव लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर
 12. क्षेत्रीय निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
 13. शाखाधिकारी (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
 14. सभी अधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
 15. सभी शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विवरणानुसार टाई अप किये अस्पताल के संबंध में सूचना आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी माननीय सदस्यों/नियोजकों/एम्पलायर एसोसियेशन/ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लावे एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
 16. सूचना पट्ट (17) गार्ड फाईल। (18) एक प्रति वेबसाईट पत्रावली।